रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04102025-266667
CG-DL-E-04102025-266667

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4374] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 1, 2025/आश्विन 9, 1947
No. 4374] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 1, 2025/ASVINA 9, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2025

सं. 35 /2025 -26

विषय: डीटीए इकाइयों के लिए आरओडीटीईपी स्कीम का 30.09.2025 से आगे विस्तार और डीटीए/एए/एसईजेड/ईओयू निर्यात पर 31.03.2026 तक लागू रहनेके संबंध में।

का.आ. 4499(अ).— विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2023 के पैरा 1.02 के साथ पठित यथासंशोधितविदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा *निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों में छूट (आरओडीटीईपी) स्कीमको 30.09.2025 से आगे बढ़ाने की अधिसूचना जारी करती है। तदनुसार, आरओडीटीईपी स्कीम,*घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (डीटीए) इकाइयों, अग्रिम प्राधिकार-पत्र (एए) धारकों, विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) इकाइयों और निर्यातोन्मुख इकाइयों (ईओयू) से किए गए निर्यातों पर **31.03.2026** तक लागू रहेगी।

2. यथा अधिसूचित मौजूदा आरओडीटीईपीदरें सभी निर्यात मदों पर लागू रहेंगी। यद्धपि, इस स्कीम का संचालन विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 4.54 के तहत निर्धारित बजटीय संरचना के अधीन रहेगा, ताकि वित्तीय वर्ष के दौरान छूट का प्रबंधन स्वीकृत आवंटन के भीतर किया जा सके।

3. पात्र निर्यात मदों की सूची, लागू दरों और प्रति इकाई मूल्य सीमा के साथ, जहां भी लागू हो, परिशिष्ट 4द (डीटीए इकाइयों के लिए) और परिशिष्ट 4दड. (एए/एसईजेड/ईओयू इकाइयों के लिए) डीजीएफटी की वेबसाइट (www.dgft.gov.in) पर में लिंक: "*विनियम > आरओडीटीईपी*" के अंतर्गत उपलब्ध है।

इस अधिसूचना का प्रभाव: आरओडीटीईपी स्कीम का विस्तार किया गया है और यह 31.03.2026 तक डीटीए, एए, एसईजेड और ईओयू इकाइयों से पात्र निर्यात के लिए लागू होगी।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/94/180/019/एएम26/पीसी-4]

अजय भादू , विदेश व्यापार महानिदेशक एवं अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2025

No: 35 /2025-26

Subject: Extension of RoDTEP Scheme for DTA Units beyond 30.09.2025 and Applicability to DTA/AA/SEZ/EOU Exports till 31.03.2026 – reg.

S.O. 4499(E).— In exercise of the powers conferred under Section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992, as amended, read with Para 1.02 of the Foreign Trade Policy (FTP) 2023, the Central Government hereby notifies the extension of the *Remission of Duties and Taxes on Exported Products (RoDTEP) Scheme* beyond 30.09.2025. Accordingly, the RoDTEP Scheme shall remain in force and be applicable to exports made from Domestic Tariff Area (DTA) units, Advance Authorisation (AA) holders, Special Economic Zone (SEZ) units, and Export Oriented Units (EOUs) up to **31.03.2026**.

2. The existing RoDTEP rates, as notified, shall continue to apply for all export items. The operation of the scheme shall, however, remain subject to the budgetary framework provided under Para 4.54 of FTP 2023, so that the remissions during the financial year are managed within the approved allocation.

3. The list of eligible export items, along with the applicable rates, and per-unit value caps wherever applicable, is available in Appendix 4R (for DTA units) and Appendix 4RE (for AA/SEZ/EOU units) at the DGFT website (www.dgft.gov.in) under the link: “*Regulations > RoDTEP*”.

Effect of this Notification: The RoDTEP Scheme stands extended and shall be applicable for eligible exports from DTA, AA, SEZ, and EOU units up to 31.03.2026.

This is issued with the approval of the Minister of Commerce and Industry.

[F. No. 01/94/180/019/AM26/PC-4]

AJAY BHADOO, Director Genl. of Foreign Trade & Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

AMIT KUMAR JAISWAL Digitally signed by AMIT KUMAR JAISWAL Date: 2025.10.04 16:49:40 +05'30'